(92)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 — कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/0724

श्रीमती रानी जैन पत्नी श्री राजीव कुमार जैन , आयु 40 साल, व्यवसाय गृहकार्य निवासी वार्ड नं. 19 नई आबादी अशोक नगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोक नगर म.प्र.

.... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/ स्व.निग/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदिका की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, पतरू पुत्र भगचंदा ग्राम दियाधरी की भूमि सर्वे नं. 131 मिन रकवा 1.000 हे. के राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि स्वामी व काबिज रहे है।

2. यहकि, आवेदिका द्वारा पतरू से उपरोक्त सर्वे नं. 131 का रकवा 0.791 हे. रजिस्ट्री क्रमांक 618 दिनांक 31.5.2006 को विक्रय पत्र संपादित कराया था जिसका पंचायत दियाधरी के प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 24.6.2006 द्वारा आवेदिका का नामान्तरण कर दिया गया , जिसके आधार पर पटवारी द्वारा आवेदिका का वर्ष 2005-06 में अभिलेख खसरा में अमल कर दिया गया था। तदानुसार आवेदिका का वर्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/0724

श्रीमती रानी जैन विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्र. क्र. 42/स्व.–निगरानी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	